


Renewal

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



Letter No.-30को0/अनु0-06/2010 454

/Agri., Patna, Dated 12.6.2017

Received from M/s Indian Phosphate Ltd. a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 263 dated 26.10.2016 deposited in State Bank of India, Baily Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), till 02.11.2019 unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- --143(R)

Date.....

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Indian Phosphate Ltd. Style- Wholesale Dealer	M/s Indian Phosphate Ltd. C/o- IPL B-199 Shri Krishnapuri, Shadeo Mahto Marg, Patna (Bihar)	M/s Indian Phosphate Ltd. C/o- IPL B-199 Shri Krishnapuri, Shadeo Mahto Marg, Patna (Bihar)	SSP (Powder) SSP(Granulated)	Self

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Dharam Naryan Nagda
Quality Incharge
M/s Indian Phosphate Ltd,
Plot No.-5059, Vill. Umarda,
Po- Kanpur, Dist. Udaipur(Raj.)

Memo No.....454

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
/Agri., Patna, Dated 12.6.2017

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Amit Kr.
Assistant
19.06.2015

Ravindra Pd Singh
Section Officer

Radha Raman
Dy. Director

Dr. Brijesh Kumar
Joint Director (Agro) Crop & Farm

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

110

उर्वरक प्रशाखा

संख्या- 4040/ अनु० - 4/2017 453 /क०, पटना, दिनांक 12.6.2017

प्रेषक:

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे० इंडियन फास्फेट लि०,
B-199, श्री कृष्णापुरी, सहदेव महतो मार्ग,
पटना, बिहार।

विषय : उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र एवं आवश्यक शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सहाय्य,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके विपणन प्राधिकार पत्र संख्या-143 (R) दिनांक 24.01.2011 वैधता तिथि-03.11.2016 को दिनांक 02.11.2019 तक नवीकृत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

पत्रांक :

453

दिनांक : 12.6.17

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरकों का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अमित कुमार)

सहायक

(रवीन्द्र प्र० सिंह)

प्रशाखा पदा०

(राधा रमण)

उप निदेशक(शष्य) अनु०/परि०

(डा० ब्रजेश कुमार)

संयुक्त निदेशक (शष्य)-फसल एवं प्रक्षेत्र

कृषि निदेशक, बिहार, पटना